



न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-2, प्रयागराज।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-2147/2026

शम्भू पटेल पुत्र विजय बहादुर पटेल, निवासी 54 छीतपुर, थाना जार्जटाउन, जनपद प्रयागराज।

..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य

..... अभियोगी

मु०अ०सं०-72/2026

धारा-191(2), 115(2), 351(2), 352, 109(1)

भा०न्या०सं०

थाना जार्जटाउन, जिला प्रयागराज

27.06.2026

1. जमानत प्रार्थनापत्र पेश हुआ।
2. बार-बार पुकार पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक उपस्थित हैं।
3. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 19.05.2026 को प्रस्तुत किया गया तथा माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश दिनांक 19.05.2026 से इस न्यायालय में अन्तरित होकर प्राप्त हुआ है। तदोपरान्त नियत तिथि दिनांक 29.05.2026, 30.05.2026, 05.06.2026, 12.06.2026 व 22.06.2026 को प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है और न ही कोई स्थगन प्रार्थनापत्र दिया गया है। आज दिनांक 27.06.2026 को भी प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं है और न ही कोई स्थगन प्रार्थनापत्र दिया गया है। ऐसी स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र बल नहीं देना चाहता है। तदनुसार प्रस्तुत अग्रिम जमानत बल न दिये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त शम्भू पटेल का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2147/2026 अन्तर्गत मु०अ०सं०-72/2026 धारा-191(2), 115(2), 351(2), 352, 109(1) भा०न्या०सं० थाना जार्जटाउन, जिला प्रयागराज बल न दिये जाने के दृष्टिगत निरस्त किया जाता है।

(अनुराधा पुण्ड्रीर)

अपर सत्र न्यायाधीश

कोर्ट सं. 2, प्रयागराज

J.O. Code No. UP 6343

दिनांक 27.06.2026